विभाग का नाम :- रजिस्ट्रार को–ऑपरेटिव सोसायिटी

विभाग का पता:- पुराना कोर्ट बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 70
दिनांक:- 15.12.2023
प्रश्नकर्त्ता का नाम:- श्री शरद चौहान
क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
(क) दिल्ली स्टेट सहकारी बैंक में विगत 03 वर्षों में लीगल मामलों पर कितना रूपया खर्च किया गया वकील का नाम, केस व भुगतान सहित जानकारी दें;	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक द्वारा कानूनी खर्च पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है– 01.04.2021 से 31.03.2022 — 60,11,750 रूपये 01.04.2022 से 31.03.2023 — 64,43,425 रूपये 01.04.2023 से आज तक — 34,32,775 रूपये इस कार्यालय द्वारा बैंक के प्रत्येक वकील एवं प्रत्येक केस के भुगतान का वांछित रिकॉर्ड 7 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के लिए आदेश दिया गया है। इस संबंध में बैंक द्वारा जैसे ही जबाव प्राप्त होगा उसे सदन को अवगत करा दिया जाएगा।
(ख) दिल्ली स्टेट सहकारी बैंक की एमडी का कार्यभार कब से चालू हुआ और उसमें सभी नियमों का पालन किया गया या नहीं;	उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की वर्तमान प्रबंध निदेशक श्रीमती अनीता रावत को बैंक द्वारा 02.04.2016 को दिल्ली सहकारी समिति नियम 2007 के नियम 58 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नियुक्त किया गया है। तदनुसार, इस विभाग ने दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की प्रबंध समिति को श्रीमती अनीता रावत को प्रबंध निदेशक के पद से तुरंत हटाने और नियमित प्रबंध निदेश की नियुक्ति, दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 2003 के प्रावधानों और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार होने तक बैंक के वरिष्ठतम कार्यात्मक निदेशक को प्रबंध निदेशक का प्रभार सौंपने का निर्देश दिया है। दिल्ली राज्य सहकारी बैंक ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या 4277/2023 दायर कर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए उचित रिट, निर्देश या आदेश जारी करने की प्रार्थना की

	है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.06.2023 द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 01.02.2024 है।
(ग) दिल्ली स्टेट सहकारी बैंक की एमडी का जो केस चल रहा है उसमें वकीलों की पेमेंट कैसे की गई और कितनी की गई, सूचना दे, वकील का नाम और किस वकील को कितनी पेमेंट दी गई;	दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के एमडी से संबंधित एक रिट याचिका (सिविल) संख्या 4277/2023 लंबित है। श्री समीर वशिष्ठ एडवोकेट आरसीएस ऑफिस की तरफ से हाईकोर्ट में इस केस की पैरवी कर रहे हैं और आज तक इस मामलें में काई भुगतान नहीं किया गया है।
(घ) वर्तमान प्रबन्धक समिति का कार्यभार कब खत्म हुआ और वर्तमान में वह किस कारण से बैठे है और क्या वह वित्तिय खर्चा कर सकते हैं; और	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की प्रबंध समिति का कार्यकाल 04.02.2023 को समाप्त हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) 1072/2023 द्वारा बैंक की वर्तमान प्रबंध समिति को चुनाव संपन्न होने तक कार्यवाहक प्रबंध समिति के रूप में बने रहने का आदेश दिया है और वे कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकती है।
(ड.) चुनाव में हो रही देरी के क्या कारण हैं बतायें एवं इन्हें दूर करने के लिए किये गए प्रयासों का पूर्ण विवरण दें?	बैंक के रिटर्निंग ऑफिसर ने सूचित किया कि बैंक ने उन्हें पूरे पते के साथ सोसायटी के सदस्यों की सूची नहीं दी है। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के रिट याचिका (सिविल) संख्या 10287/2023 के निर्देश पर आरसीएस द्वारा मतदाता सूची को पूरा करने के लिए 17.08.2023 को एक बैठक बुलाई जिसमें यह पाया गया कि बैंक ने डीसीएस अधिनियम और नियमों के अनुसार सदस्यता रजिस्टर नहीं बना रखा है। तत्पश्चात नतीजतन आरसीएस कार्यालय ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2023 और 27.04.2023 की समीक्षा और पुनर्विचार करने और आरसीएस दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम 2003 की धारा 37 के तहत एक प्रशासक नियुक्त करने के अनुमति देने के लिए रिट याचिका (सिविल) 1072/2023 में समीक्षा आवेदन दायर किया था जिसमें माननीय उच्च न्यायलय ने अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री वी.के. जैन को बैंक का मतदाता सूचि को जाँचने के लिए बैंक का अतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है ।

A. K. SINGH, IAS
Registrar Co-operative Societies
Govt. of N.C.T. of Delhi
Parliament Street, New Delhi-110001